

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क रीडर/2023/ 7 221

दिनांक - 31/12/23

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 कुसुम्बी पत्नी आदूराम 2
गोरधनराम पुत्र लाधाराम 3 दुर्गाराम
पुत्र आदूराम 4 नारणाराम पुत्र
हीराराम 5 बनाराम पुत्र आदूराम 6
शेराराम पुत्र लाधाराम जाति जाट
निवासी मूलाणी, नांद तहसील व
जिला बाड़मेर।

1 पूनमाराम पुत्र लालाराम 2 चौखाराम पुत्र
गोरधनराम जाति जाट 3 चैनराम 4 भोमाराम
पिसरान तगाराम जाति जाट 5 आसूराम पुत्र
गोमाराम 6 भोमाराम पुत्र भानाराम जाति जाट
निवासी महादेव नगर, नांद तहसील व जिला
बाड़मेर 7 तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 292/2023

दिनांक- 22/12/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मौजा महादेव नगर पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 489 रकबा 1.1331 हैक्टेयर, खसरा संख्या 823/491 रकबा 6.3050 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है; जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 31/12/23

क्रमांक :- रीडर/2023/ 7 222-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी नांद तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. कुसुम्बी पत्नी आदूराम जाति जाट निवासी मूलाणी, नांद तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी पूनमाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी महादेव नगर, नांद तहसील व जिला बाड़मेर।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर